

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग।

आ.सं.-8/ज.सं.(नि.)ल.सिं.राँची-16/2013:-...../राँची, दिनांक:-.....

आदेश

विभागीय आदेश सं.-2755 दिनांक-28.08.14 द्वारा विभागीय दंडादेश के विरुद्ध प्राप्त अपील अभ्यावेदन के आलोक में पुनर्विचार मामले के संबंध में पूर्ण समीक्षा कर स्पष्ट मत बनाने हेतु अभियंता प्रमुख-I की अध्यक्षता में विभागीय समिति गठन किया गया था।

2. उक्त गठित समिति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।
3. उक्त आदेश पर प्रधान सचिव की सहमति प्राप्त है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव(नि.)।

1790

ज्ञापांक:-

/राँची, दिनांक:- 16-4-15 /

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची के आप्त सचिव/
सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग,
झारखंड, राँची/ अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ मुख्य अभियंता (मो.)
जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ श्री शिवानंद राय, अधीक्षण अभियंता, बाँध एवं गेट रूपांकण
अंचल, राँची/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ प्रशाखा-8(A एवं B), जल
संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ वेब
मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16.4.15

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव(नि.)।

16.4.15